

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-14/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक : / /2026

डा० सुप्रिया, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईरिया, दिनारा, रोहतास द्वारा दिनांक-01.04.2026 से 27.09.2026 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-14/2026- 560(2) पटना, दिनांक 13/3/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक--सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दिनारा, रोहतास / जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/ डा० सुप्रिया, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईरिया, दिनारा, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।